न्यायालय जिला कलक्टर हनुमनगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः– 03 / 2017

बलराज सिंह पुत्र श्री मेवासिंह जाति जटसिख निवासी
भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

1.जसपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी
भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2.राजस्थान राज्य जरिये जिल रसद अधिकारी हनुमानगढ।
––प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.03.2017 प्रकरण संख्या 123 / 2014 बअदालत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ जिसकी रूह से प्रत्यर्थी संख्या 1 का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया बमुराद मन्सूखी व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः–1.श्री प्रधुम्नसिंह परमार वकील अपीलार्थी
2.श्री दलीप सारस्वत वकील प्रत्यर्थी नं0 1
3.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता
स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–21.02.2018

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण जांच कर उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र जारी किया गया था जिमसें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सामग्री का वितरण करता आ रहा था।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अनियमितता बाबत इस आशय की शिकायत की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 नियमानुसार डिपू संचालन नही कर रहा है और उसके विरूद्ध 72 लीटर केरोसीन व 45 किलो गेहूँ का दुरूपयोग करने के आरोप भी लगाये गये जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 11.08.2014 व 08.12.2014 को पेश किया गया। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के जवाब से सन्तुष्ट नही होकर दिनांक 26.12.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी के निर्णय को सही माना गया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के समक्ष रिविजन संख्या 02/2016 प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नही किया गया। न्यायालय खाद्य आयुक्त द्वारा दिनांक 30.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2014 एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में लगाये गये आरोपो के संबंध में प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही दी गई और न ही अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किया गया। इस कारण अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी नही हो सकी जबकि अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय व प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अहम जवाबदेही थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध 66 लीटर केरोसीन व 45 किलो गेहूँ का दुरूपयोग किया जो प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन था। न्यायालय खाद्य आयुक्त द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें उसके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जिससे सन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जवाब संतोषजनक आने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कुल 66 लीटर केरोसीन व 45 किलो गेहूँ का दुरूपयोग होना तो माना लेकिन जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र के परे जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देशित किया कि वह 66 लीटर केरोसीन व 45 किलो गेहूँ की वर्तमान बाजार भाव से राशि राजकोष में जमा करवायेगा जिससे आहत होकर अपीलार्थी उक्त निर्णय को निरस्त करवाने हेतु यह अपील की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी नं0 1 के वकील द्वारा लिखित बहस पेश की। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी के वकील द्वारा अपनी लिखित बहस अंकित किये गये तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं कि न्यायालय खाद्य आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के निर्णय दिनांक 30.05.2016 के अनुसार पूर्व में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2014 व माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 को यथावत रखते हुए प्रकरण जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में लगाये गये आरोपो के संबंध में प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पो0 संख्या 1 को पूर्ण जांच कर उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र जारी किया गया था। जिसमें रेस्पो0 नं0 1 सामग्री का वितरण करता आ रहा था। रेस्पोडेन्ट नं0 1 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अनियमितता बाबत इस आशय की शिकायत की गई कि प्रार्थी संख्या 1 नियमानुसार डिपू संचालन नही कर रहा है। और इसके विरूद्ध 72 लीटर केरोसीन व 45 किलो गेहूँ का दुरूपयोग करने के आरोप भी लगाये गये जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाव दिनांक 08.11.2014 व 8.12.2014 को पेश किया गया। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के जबाव से सन्तुष्ट नही होकर दिनांक 26.12.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी के निर्णय को सही माना गया । जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय खाद्य आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभौक्ता मामले विभाग जयपुर के समक्ष रिविजन संख्या 02/2016 प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नही किया। न्यायालय खाद्य आयुक्त द्वारा दिनांक 30.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2014 एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.12.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में लगाये गये आरोपो के संबंध में प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिसके संबंध में प्रार्थी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही दी गई और न ही अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

किया गया। इस कारण अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी नही हो सकी। अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय व प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अहम जबावदेही थी। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिला रसद अधिकारी अपने अधिकार क्षैत्र के परे जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देशित किया कि 66 लीटर केरोसीन व 45 किला गेहूँ की वर्तमान बाजार भाव से राशि राजकोष में जमा करवायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया और न ही प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किये गये अविधिक कार्यो की शिकायत दर्ज करवाई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत तथाकथित अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने यह तथ्य भी उजागर किये थे कि अपीलार्थी ने महत्वपूर्ण तथ्यो को छूपाते हुए सरकारी लाभ के 4 पद प्राप्त किये हुये हैं। इस कारण भी प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त डिपू का संचालन नही कर सकता हैं। गांव भगतपुरा में 677 राशन कार्डो में से कुल 339 राशन कार्ड धारको द्वारा गैस कनैक्शन ले रखे है जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 को बखूबी है। उसके द्वारा अविधिक रूप से केरोसीन तेल का वितरण किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो के संबंध में कोई जांच नही की गई इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की श्रेणी में नही आता हैं। पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध केरोसीन के संबंध में जांच के दौरान जबाव व शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे। जिसमें प्रवर्तन अधिकारी के सामने 16 उपभोक्ताओ के ब्यान दर्ज करवाये व प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा मात्र 7 उपभोक्ताओ के शपथ पत्र ही प्रस्तुत किये गये। प्रकरण 72 लीटर केरोसीन दुरूपयोग के संबंध में कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच नही की और ना ही कोई जवाब अथवा स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से लिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया इस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नही हो सकी। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा डिपू संचालन किये जाने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में आकर जांच की तो उसे यह जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की इसके पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। इस कारण अपीलार्थी को जानकारी होने से अन्दर मियाद है। मियाद प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

जिला ...
हनुमानगढ

प्रत्यर्थी संख्या 1 के वकील द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किये गये तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को हैरान व परेशान करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि डिपो में राशन वितरण के संबंध में गडबडी हुई हैं। माननीय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 16.12.2015 को जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय खाद्य आयुक्त नागरिक आपूर्ति और उपभोकता मामले विभाग जयपुर के यहां पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा निर्णय करते हुए अंकित किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की दुकान की जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2014 में प्रार्थी के विरूद्ध 66 लीटर केरोसीन तेल एवं 45 किलो गेहूँ का दुरूपयोग किया जाना बताया गया जिसका जबाव प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.12.2014 जिला रसद अधिकारी को पेश किया। प्रार्थी द्वारा सभी उपभोक्ताओ को राशन सामग्री का वितरण किया गया था। कुछ उपभोक्ता राशन कार्ड लाने से रह जाते है उन्हे राशन समग्री तो दे दी जाती है लेकिन प्रविष्टि बाद में करा दी जाती है। कुछ राशनकार्डधारी जिनके राशनकार्ड पर गैस एजेन्सी की मोहर नही है उन्हे भी वितरण कर दिया जाता है। जहां तक दिनांक 23.12.2014 को जांच की गई जिससे 72 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग बताया गया है, जिला रसद अधिकारी को विवादित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 26.12.2014 एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.12.2015 को यथावत रखते हुए प्रकरण जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि प्रकरण में लगाये आरोपो के संबंध में प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा नोटिस जारी करने पर प्रार्थी दिनांक 23.02.2017 को उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया। जिला रसद अधिकारी ने जबाव को संतोषजनक पाया गया तथा दिनांक 02.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को भविष्य में रसद सामग्री का वितरण नियमानुसार करना सुनिश्चित करने हेतु चेतावनी देते हुए उचित मूल्य दुकानदार की समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया है। अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. में कही भी अंकित नही किया है कि प्रार्थी प्रभावी एवं आवश्यक पक्षकार हो। धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में मिथ्या, निराधार एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. से विरोधाभासी कथन किये है जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अधिकारित नही है। धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह

जिला
हनुमानगढ

अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहा है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब क्षमा योग्य नही है तथा प्रार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में विधिसम्मत कारण व आधार प्रकट नही किये गये है जिससे प्रार्थी माननीय न्यायालय से विलम्ब को क्षमा करवाने का अधिकारी नही है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 एक ही गांव के निवासी है। अपीलार्थी रेस्पो0 नं0 1 से रंजिश रखता है। रंजिशवश से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व खेता सिंह पर अपीलार्थी व अन्य दो व्यक्तियो ने हमला कर दिया जिस धटना के संबंध में पुलिस थाना में एफ.आई.आर. 568/2015 दर्ज करवाई गई। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सं0 1 से रंजिश रखता है येन–केन–प्रकारेण नुकसान पहुचाने पर आमादा रहता है। तथा आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। अपीलार्थी की अपील उक्त आधारो पर अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण खाद्य विभाग जयपुर से जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा खाद्य विभाग जयपुर के आदेश की पालना में प्रकरण में पुनः जाच करवा कर एवं प्रत्यर्थी नं0 1 से जबाव लेने के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के वकीलो की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी की यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील तृतीय पक्षकार के रूप में तथा अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण दर्शाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का अपील के साथ संलग्न किया जिस पर वकील प्रत्यर्थी नं0 1 ने आपति जाहिर की गई। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नही किया जिससे उसके कथनो एवं प्रार्थना पत्र पर विश्वास किया जा सके। फिर भी अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में कण्डोन करते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलार्थी पक्षकार होना पाये जाने पर इस प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अपीलार्थी के वकील द्वारा अपनी बहस में यह तथ्य अंकित किये है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 26.12.2014 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी के निर्णय को सही माना गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय खाद्य आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के समक्ष रिविजन प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नही किया गया। न्यायालय खाद्य आयुक्त द्वारा दिनांक 30.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण

प्रत्यर्थी संख्या 2 को रिमाण्ड किया। अपीलार्थी को कोई जानकारी नही दी गई और न ही अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किया। प्रकरण में अपीलार्थी की अहम जवाब देही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया और न ही प्रकरण में सुनवाई का कोई मौका दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यो के संबंध में कोई जांच नही की गई। वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस में तथ्य अंकित किये है कि प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 23.02.2017 को उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया। जबाव को संतोषजनक पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए उचित मूल्य दुकानदार की समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया हैं। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 एक ही गांव के निवासी है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 से रंजिश रखता है तथा येन– केन –प्रकारेण नुकसान पहंचाने पर आमादा रहता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलार्थी प्रकरण में पक्षकार होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य बनता हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे तथा निर्णय पारित करने तक उचित मूल्य दुकान के डिपू होल्डर के प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जावे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 21.02.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ